



अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट जि. सोलापूर

दि.- २३/११/२०२३

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकरीता

कराचे बिल (पोचपावती)

वार्ड क्र: ९ मालमत्ता क्र: ७५४ भाग क्र:

जुना वार्ड क्र: जुना मालमत्ता क्र:

मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: धारक: तुतला

संगणक क्र.:

भाडेकरूचे नाव: श्री/श्रीमती/में: जिओ टॉवर

मालमत्तेचे वर्णन: मोबाईल टॉवर

बिल क्र: AKKA101619

भोगवटदाराचे नाव: श्री/श्रीमती/में:

दुकान / इमारतीचे नाव: /

पत्ता: विजय नगर, अक्कलकोट

| कराचे विवरण | संकलित कर रु. | झाड कर रु. | म.शिक्षण कर रु. | नौकरी/ शाश्वती कर | अग्निशमन कर रु. | जल निस्सारण कर रु. | वि.स्वच्छता कर रु. | वि शिक्षण कर | वापरकर्ता शुल्क रु. | थकीत वॉरंट फी | अनाधिकृत बांधकामावरील शास्ती | मुदतीत कर न भरल्याने शास्ती | एकूण कर रु. |
|---------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| थकीत मागणी रु | | | | | | | | | | | | | |
| चालु मागणी रु | ३२४०० | २१६० | २८८०० | ७२०० | ९९४ | ४३२० | | ४९६८ | ७२० | | | | ८१५६२ |
| एकूण कर रु | ३२४०० | २१६० | २८८०० | ७२०० | ९९४ | ४३२० | | ४९६८ | ७२० | | | | ८१५६२ |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती वेगळ्याची नही



अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट जि. सोलापूर

दि.- २३/११/२०२३

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकरीता

कराचे बिल

वार्ड क्र: ९ मालमत्ता क्र: ७५४ भाग क्र:

जुना वार्ड क्र: जुना मालमत्ता क्र:

मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: धारक: तुतला

संगणक क्र.:

बिल क्र: AKKA101619

भाडेकरूचे नाव: श्री/श्रीमती/में: जिओ टॉवर

मालमत्तेचे वर्णन: मोबाईल टॉवर

भोगवटदाराचे नाव: श्री/श्रीमती/में:

दुकान / इमारतीचे नाव: /

पत्ता: विजय नगर, अक्कलकोट

सन २०२३-२४ करीता मागणी

| कराचे विवरण | थकीत मागणी रु | चालु मागणी रु | एकूण मागणी रु | वसुली पुस्तक क्र. पावती क्र. दिनांक: | एकूण शिल्लक मागणी रु |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| १) मालमत्ता कर रु | | ३२४०० | ३२४०० | | ३२४०० |
| २) झाड कर रु | | २१६० | २१६० | | २१६० |
| ३) म.शिक्षण कर रु | | २८८०० | २८८०० | | २८८०० |
| ४) नौकरी/ शाश्वती कर रु | | ७२०० | ७२०० | | ७२०० |
| ५) अग्निशमन कर रु | | ९९४ | ९९४ | | ९९४ |
| ६) जल निस्सारण कर रु. | | ४३२० | ४३२० | | ४३२० |
| ७) वि. स्वच्छता कर रु | | | | | |
| ८) वि शिक्षण कर | | ४९६८ | ४९६८ | | ४९६८ |
| ९) वापरकर्ता शुल्क रु. | | ७२० | ७२० | | ७२० |
| १०) थकीत वॉरंट फी. | | | | | |
| ११) अनाधिकृत बांधकामावरील शास्ती रु | | | | | |
| मुदतीत कर न भरल्याने शास्ती रु | | | | | |
| अग्रिम रक्कम रु | | | | | |
| एकूण कर रु | | ८१५६२ | ८१५६२ | | ८१५६२ |

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषदेचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थात १ एप्रिल रोजी देय होतो.

२) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० (३) अन्वये बिल दिल्यापासून १५ संकलित करात १ टक्का सवलत मिळेल. ३) मागील कर आकारणीनुसार थकबाकी शिल्लक असल्यास पुढील विलास लागू येईल. ४) महाराष्ट्र नगर परिषदा, अधिनियम १९६५ मधील (राजपत्र दि.२७/०४/२०१० असाधारण भाग ४) मधील सुधारीत कलम १५०अ (१) अन्वये मागणी बिलातील थकीत रकमेचा पुर्ण भरणा करेपर्यंत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीवर डिसेंबर महिन्यानंतर २% प्रतिमाह प्रमाणे शास्ती आकारण्यांत येईल. ५) नाही तर अशी रक्कम व तो वसुली करण्याचा सर्व खर्च कलम १५२ अन्वये मुख्याधिकारी यांच्या सहीने वॉरंट (अधिपत्र) करून व ती जाहिर लिलावाद्वारे विकुण वसुलीस पात्र असेल ६) जप्त केलेल्या स्थानवर मालमत्तेबाबत मा. मालमत्ता ताब्यात घेता येईल. ७) सदर बिल बजावल्यामुळे बांधकाम परवानगी मिळाली अथवा बांधकाम कायदेशीर आहे किंवा मालकीची आहे असे समजण्यात येत नये. ८) ३१/१०/२०२३ पर्यंत चे वसुली नोंदीस आधिन राहून लागू करण्यात येत आहेत. त्यानुसार त्यानंतर कराची रक्कम अदा केली असल्यास, जाईल.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण | नोव्हें-२३ | डिसे-२३ | जाने-२४ | फेब्र-२४ | मार्च-२४ |
|---------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| थकीत देय रक्कम J | | | | | |
| प्रचलित वर्षावरील मागणी J | ४०७८१ | ४०७८१ | ८३१९४ | ८४८२४ | ८६४५६ |
| जुनरी वर्षावरील मागणी J | ४०७८१ | ४०७८१ | | | |
| एकूण देय रक्कम J | ८१५६२ | ८१५६२ | ८३१९४ | ८४८२४ | ८६४५६ |

कर संग्राहक

अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट

कर अधिक्षक

अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट

मुख्याधिकारी

अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट

१) जोला, सुका, घातक कचरा विलगीकरण करून घनकचरा नियम २०१६ नुसार विच्छेदात सावण्याची प्राथमिक जबाबदारी मालमत्ता धारकाची आहे. घंटागाडीसाठी प्रत्येक मालमत्ता धारकाला स्वातंत्रित्या शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार उपभोक्ता शुल्क बंधनकारक आहे.

२) बाह्य प्लॅस्टिक मुक्त करण्यासाठी शासन धोरण/ न.प ठराव नियमानुसार शास्ती टाळण्यासाठी निरसित प्लॅस्टिक चा वापर टाळावा.



कर भरा कटुता टाळा

ऑनलाईन मालमत्ता कराचा भरणा करण्याकरिता वेबसाईट :- Akkalkotnp.org